उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

::पंजीकृत निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना::

बोर्ड अधिसूचना संख्या- 4200-4331/भ0नि0(90)-2011, दिनांक 15.07.2011 द्वारा अधिसूचित

1. योजना का नाम :- निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना

2. योजना का उद्देश्य :-

इस योजना का उद्देश्य उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक की स्वंय अथवा उसकी पत्नी अथवा उस पर आश्रित अविवाहित पुत्री एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र को गम्भीर बीमारी की स्थिति में उनके द्वारा किसी शासकीय चिकित्सालय या भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार का स्वायत्तशाषी चिकित्सालय में कराए गये इलाज के उपरान्त किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति कराया जाना है।

गम्भीर बीमारी की परिभाषा में निम्नलिखित बीमारियॉ सम्मिलित होंगी :-

- हृदय की शल्य क्रिया,
- गुर्दा का प्रत्यारोपण,
- लीवर (यकृत) का प्रत्यारोपण,
- मस्तिष्क की शल्य क्रिया,
- रीढ़ की हड्डी की शल्य क्रिया,
- पैर के घुटने बदलना,
- कैंसर का इलाज तथा
- एच0आई0वी0 एड्स की बीमारी।

शेष अन्य बीमारियों के लिये इस योजना के अन्तर्गत लाभ देय नहीं होगा।

3. पात्रता :-

इस योजना के लिये वे सभी कर्मकार पात्र होंगे जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-12 के अन्तर्गत लाभार्थी श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं।

4. हितलाभ :-

(1) इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी श्रमिक द्वारा स्वयं अथवा उसकी पत्नी अथवा उस पर आश्रित 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र/अविवाहित पुत्री की गम्भीर बीमारी में प्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय में तथा भारत सरकार या उ0प्र0 सरकार के नियंत्रणाधीन किसी स्वायत्तशासी चिकित्सालय में कराये गये इलाज के उपरान्त अग्रलिखित प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन उसके द्वारा उस बीमारी के उपचार पर किये गये इलाज की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी। ★[1]

(2) योजना के अन्तर्गत यदि लाभार्थी श्रमिक गम्भीर बीमारी की स्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, भारत सरकार की सी0जी0एच0एस0 व ई0एस0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुबंधित अस्पतालों में भर्ती होने या इलाज कराते हैं, तो उनसे प्राप्त सूचना/अभिलेख के आधार पर गम्भीर बीमारी की इलाज की प्रतिपूर्ति सीधे अस्पताल को की जायेगी। ★[1]

5. आवश्यक शर्ते :-

- श्रमिक बोर्ड का पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक हो।
- किसी गम्भीर बीमारी के इलाज के फलस्वरुप उपचार करने वाले चिकित्सक/अस्पताल द्वारा प्रारूप-2 पर दिया गया प्रमाण पत्र।
- दवाइयों के क्रय पर हुए व्यय के मूल बिल-बाउचर जो कि उस चिकित्सक/अस्पताल द्वारा प्रमाणित किए गये हों, जिनके द्वारा उपचार किया गया हो।

6. सामान्य निर्देश : -

लाभार्थी श्रमिक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दो प्रतियों में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख भी संलग्न अनिवार्य रूप से किए जायेंगे :-

(1) निर्धारित प्रारुप-1 पर आवेदन-पत्र

(2) पहचान प्रमाण पत्र की फोटो प्रति

(3) निर्धारित प्रारुप-2 पर सक्षम मुख्य चिकित्साधीक्षक/चिकित्सा बोर्ड द्वारा अनुमन्य एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र

(4) दवाईयों के क्रय पर हुए व्यय के मूल बिल-वाउचर, जो कि उस चिकित्सक/अस्पताल द्वारा प्रमाणित तथा भुगतान हेतु सत्यापित किए गये हों, जिनके द्वारा उपचार किया गया हो।

(5) यदि रोगी अविवाहित पुत्री अथवा 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र है तो ऐसी स्थिति में उसका पंजीकृत निर्माण श्रमिक पर आश्रित होने का प्रमाण-पत्र (प्रारूप-3)

(6) इस समग्र कार्यवाही में जिला श्रम कार्यालय द्वारा नोडल ऐजेन्सी के रूप में कार्य किया जाएगा। योजनावार तथा लाभार्थीवार विवरण निर्धारित पंजिका में जिला श्रम कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय में संरक्षित रखे जायेंगे, जिसके लिए पंजिका प्रपत्र संख्या-3 संलग्न किया जा रहा है। क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा योजनावार, लाभार्थीवार तथा जिलेवार पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्रों पर मासिक आधार पर संकलित करते हुए, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय में मास की समाप्ति के उपरान्त अगले 04 दिन के अन्दर उपलब्ध करवायें जायेंगे।

7. **कठिनाईयों का निवारण :-**

योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निवारण हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव सक्षम होंगे और इस सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश, आदेश, इत्यादि निर्गत कर सकेगें।

नोट :- ✱ उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना संख्या : 411-17/भ0नि0बो0(90)-2013, दिनांक 27.06.2013 द्वारा संशोधित।

(2)

:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण कर्मकारों के हितार्थ **कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना** की स्वीकृति तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उनके आदेश संख्या– 663/36–2–2011, दिनांक 14.07.2011 के क्रम में एतद्द्वारा निर्माण कर्मकारों के हितार्थ **कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना** अधिसूचित की जाती है।

अतएव उक्त योजना तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवर्तित व लागू की जाती है।

(सीताराम मीना)
सचिव।

कार्यालय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, कानपुर।

पत्रांकः 4300-4331/भवन निर्माण–(90)/2011, दिनांक– 15-07- ,2011

प्रतिलिपि– *निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–*

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
5. अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करते हुये वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या– 663/36–2–2011, दिनांक 14.07.2011 के क्रम में सूचनार्थ।

संलग्नकः यथोक्त।

(पंकज कुमार)
अपर सचिव।

:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 4200–4331/भवन निर्माण(90)/2011, दिनांक 15.07.2011 के माध्यम से गम्भीर बीमारी सहायता योजना अधिसूचित की गयी थी।

तत्क्रम में शासन द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर अनापत्ति संख्या– 1471/छत्तीस–2–12–93(1)/2011, दिनांक 11.06.2013 के क्रम में पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली गम्भीर बीमारी सहायता योजना के अन्तर्गत निम्न संशोधन किये गये है :–

1. इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी श्रमिक द्वारा स्वंय अथवा उसकी पत्नी अथवा उस पर आश्रित 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र/अविवाहित पुत्री की गम्भीर बीमारी में प्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय में तथा भारत सरकार या उ0प्र0 सरकार के नियंत्रणाधीन किसी स्वायत्तशासी चिकित्सालय में करायें गये इलाज के उपरान्त प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन उसके द्वारा उस बीमारी के उपचार पर किये गये इलाज की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी।
2. योजना के अन्तर्गत यदि लाभार्थी श्रमिक गम्भीर बीमारी की स्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, भारत सरकार की सी0जी0एच0एस0 व ई0एस0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुबंधित अस्पतालों में भर्ती होने या इलाज कराते हैं, तो उनसे प्राप्त सूचना/अभिलेख के आधार पर गम्भीर बीमारी की इलाज की प्रतिपूर्ति सीधे अस्पताल को की जायेगी।
3. योजना के अन्तर्गत उक्त संशोधित लाभ संशोधन की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से लागू होगें। पूर्व में प्राप्त आवेदनों पत्रों पर उपरोक्त संशोधन कदापि लागू नहीं होगे।

तदनुसार संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 गुरदीप सिंह)
सचिव, बोर्ड।

कार्यालय उ0प्र0 भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, कानपुर।

पंत्राक – 611-13 /भ0नि0बो0( )–2013, दिनांक– 22.6. ,2013

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन)उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक् प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करते हुये बेवसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या– 1471/छत्तीस–2–12–93(1)/2011, दिनांक 11.06.2013 के क्रम में सूचनार्थ।

(माला श्रीवास्तव)
अपर सचिव, बोर्ड।